सं. 18-3/2024-ओ एण्ड एम

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

***

संचार भवन, 20, अशोक मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 17.05.2024

विषय : दूरसंचार विभाग में मार्च, 2024 माह के दौरान हुए महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाला मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को दूरसंचार विभाग में मार्च, 2024 माह के दौरान हुए महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति एतद्द्वारा सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. इसे सचिव (दूरसंचार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न:- यथोपरि

अनूप कुमार 17.5.24

(अनूप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-23036213

सेवा में

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के निजी सचिव।

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति के सचिव।
2. उप राष्ट्रपति के सचिव।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, नई दिल्ली।
4. नीति आयोग के सभी सदस्य, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. प्रतिलिपि:-

i. सचिव, शिक्षा विभाग।
ii. सचिव, विधायी विभाग।
iii. सचिव, सांख्यिकी विभाग।
iv. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग।
v. सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग।
vi. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मंत्रालय।
vii. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय।
viii. सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
ix. सचिव, रेलवे बोर्ड।
x. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग।
xi. सचिव, अंतरिक्ष विभाग।
xii. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग।
xiii. सचिव, डाक विभाग।

8. प्रतिलिपि:-
   i. माननीय संचार मंत्री के निजी सचिव /माननीय संचार राज्य मंत्री के निजी सचिव।
   ii. अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग एवं सचिव, दूरसंचार विभाग के पी.एस.ओ।
   iii. सदस्य (वित्त)/ सदस्य (सेवा)/ सदस्य (प्रौद्योगिकी)/ महानिदेशक (दूरसंचार) मुख्यालय/ प्रशासक (यूएसओएफ)/ आर्थिक सलाहकार/ डब्ल्यूए, डब्ल्यूपीसी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ प्रधान निजी सचिव।
9. अपर महानिदेशक, पीआईबी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
10. महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. नीति-I अनुभाग को दिनांक 14.11.2008 के उनके पत्र संख्या 6/6/2008-नीति-I के संदर्भ में।

17.5.24

(अनूप कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 011-23036213

दूरसंचार विभाग में मार्च, 2024 माह के दौरान हुए महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में मंत्रिमंडल को भेजा जाने वाला मासिक सारांश

क. दूरसंचार विभाग मुख्यालय में मार्च, 2024 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप:

1. **दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और "(चक्षु)" सुविधा का शुभारंभ**

माननीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान की उपस्थिति में दिनांक 04.03.2024 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) के 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी)' का शुभारंभ किया। यह साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय के लिए है। संचार साथी पोर्टल (https://sancharsaathi.gov.in) पर 'चक्षु' सुविधा भी शुरू की गई जो नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार के बारे में सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने वाली एक अग्रणी पहल है।

डीआईपी रियल टाइम इंटेलिजेंस साझाकरण, सूचना का आदान-प्रदान और हितधारकों अर्थात् दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पहचान संबंधी दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरणों आदि के बीच समन्वय के लिए एक सुरक्षित और एकीकृत मंच है।

'चक्षु' नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह संचार आमतौर पर केवाईसी की समाप्ति या बैंक खाते / भुगतान वॉलेट / सिम / गैस कनेक्शन / बिजली कनेक्शन आदि के अपडेट का दावा करते हैं। जबरन वसूली वाले कॉल और जहां कॉल करने वाला/संदेश भेजने वाला पैसे अंतरित करने के लिए खुद को फर्जी सरकारी अधिकारी/रिश्तेदार बताते हैं या जो दूरसंचार विभाग आदि से होने का दावा करते हुए मोबाइल नंबर काटने की धमकी देते हैं उन सभी की रिपोर्ट अब 'चक्षु' पर की जा सकती है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय संबंध और घटनाक्रम:**

क. **भारत द्वारा डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का नेतृत्व**: दूरसंचार विभाग को सर्वसम्मति से जिनेवा में दिनांक 18.03.2024 को डिजिटल विकास के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एलायंस के तत्वाधान में गठित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह-अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में पूरे विश्व में फैले आईटीयू के 23 सदस्य देशों के दूरसंचार/आईसीटी मंत्री और उपमंत्री शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने दुनिया भर में नेटवर्क ऑफ एक्सेलरेशन सेन्टर के प्रयासों के समन्वय के लिए आईटीयू एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर, नई दिल्ली, भारत में ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के साथ नेटवर्क एक्सेलरेशन सेन्टर की मेजबानी के लिए दुनिया भर के 17 संगठनों का चयन किया है।

ख. **निदेशक, दूरसंचार विकास ब्यूरो (बीडीटी), आईटीयू के साथ बैठक:** आईटीयू मुख्यालय, जिनेवा में निदेशक, दूरसंचार विकास ब्यूरो (बीडीटी), आईटीयू डॉ कॉसमॉस ज़वाज़वा के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान भारत में आईटीयू एरिया ऑफिस एंव इनोवेशन सेंटर, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लैब, एक्सेलेरेशन सेंटर्स, ग्लोबल इनोवेशन सेंटर को बढ़ाने से संबंधित विभिन्न पहलों पर चर्चा की गई। दूरसंचार विभाग ने आईटीयू को विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए) 2024 के साथ-साथ भारत में डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की अगली बैठक की मेजबानी करने के लिए आमंत्रित किया।

ग. **जापान के साथ द्विपक्षीय बैठक:** आईटीयू मुख्यालय में दिनांक 18.03.2024 को डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की बैठक के साथ भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता जापान के आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय के उपमंत्री श्री हिरोशी योशिदा ने की। बैठक में दूरसंचार/आईसीटी क्षेत्र में भारत और जापान की भागीदारी की समीक्षा की गई और नेताओं ने दोनों देशों के बीच एआई, 5जी यूज केस मामलों और एमआरए पर सक्रिय सहयोग का प्रस्ताव रखा। दोनों ने विश्वसनीय उत्पादों पर एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया और 5जी यूज केस और आईसीटी पर भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के तहत बड़े पैमाने पर "मल्टीपल-इनपुट मल्टीपल-आउटपुट" (एमआईएमओ) पर उप कार्य समूहों को संचालित करने पर सहमति व्यक्त की। दूरसंचार विभाग ने जापान की सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों को डब्ल्यूटीएसए 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आइएमसी) 2024 और आईटीयू कैलिडोस्कोप, प्रदर्शनियों, भारत पर अच्छे वैश्विक प्रभाव के लिए एआई सम्मेलन, महिलाओं के नेटवर्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ सेफ लिसनिंग पर कार्यशाला सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

घ. **बहरीन के साथ द्विपक्षीय बैठक:** डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की बैठक के साथ ही दिनांक 19.03.2024 को आईटीयू मुख्यालय, जिनेवा में भारत और बहरीन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बहरीन किंग्डम के परिवहन और दूरसंचार मंत्री श्री मोहम्मद बिन थामीर ने बहरीन का प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5जी यूज केस, साइबर सुरक्षा, डेटा दूतावास के विकास आदि जैसे क्षेत्रों में आईसीटी सेक्टर में सक्रिय रूप से सहयोग करने का निर्णय लिया। दोनों देशों के बीच हुए आईसीटी समझौता ज्ञापन पर फिर से विचार करने पर दोनों ने सहमति व्यक्त की जो वर्ष 2015 में पहले ही समाप्त हो चुका है। भारत ने बहरीन के साथ निष्पक्षता आकलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की रेटिंग पर टीईसी मानक और विनियामक सैंडबॉक्स पर स्टेटस नोट साझा करने का प्रस्ताव रखा।

ड. **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटिंग केंद्र (यूएनआइसीसी) के साथ बैठक:** दिनांक 19.03.2024 को निदेशक, यूएनआइसीसी के साथ बैठक आयोजित की गई। डीपीआई (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि पर संभावित सहयोग के लिए चर्चा हुई। यूएनआइसीसी अपना इंडिया में केंद्र खोलने की योजना बना रहा है जो वैश्विक दक्षिण सहयोग में मदद करेगा। नीति अनुसंधान, नवाचार एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान परिसर, गाजियाबाद में प्रस्तावित यूएनआइसीसी इंडिया केन्द्र को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश की।

3. संगम के लिए आउटरीच कार्यक्रम: डिजिटल ट्विन पहल

दूरसंचार विभाग ने "संगम: डिजिटल ट्विन" (https://sangam.sancharsaathi.gov.in) नामक एक पहल का अनावरण किया है जिसके तहत शीर्ष उद्योगपतियों के नेताओं, तकनीकी कंपनियों, विशेषज्ञों, स्टार्टअप, संस्थानों और नवप्रवर्तकों को आमंत्रित करते हुए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई है। यह पहल अभिनव 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' (पीओसी) पर आधारित है जो अवसंरचना की योजना और डिजाइन में आमूलचूल परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। इस पीओसी के केंद्र में व्यापक गतिशीलता अंतर्दृष्टि के साथ डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी का एकीकरण शामिल है जो दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख अंतर्दृष्टि सहित डेटा स्रोतों के व्यापक स्पेक्ट्रम से लिया गया है। संगम पहल के तहत आईआईटी दिल्ली में दिनांक 05.03.2024, आईआईआईटी बैंगलोर में दिनांक 09.03.2024 और आईआईआईटी हैदराबाद में दिनांक 12.03.2024 को 03 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए।

4. 100 5जी यूज केस प्रयोगशाला के कार्यान्वयन की स्थिति

शैक्षणिक संस्थानों में 100 5जी प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में मार्च 2024 तक की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:

- दूरसंचार विभाग ने दिनांक 12.03.2024 को टीसीआईएल (कार्यान्वयन एजेंसी) के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है जिसमें भुगतान शर्तों, प्रदेय उत्पादों आदि सहित सभी कार्य-रीति शामिल हैं।
- आईआईटी गांधीनगर में 5जी प्रयोगशालाओं के इष्टतम उपयोग के लिए अपस्किलिंग/मेंटरिंग फैकल्टी के लिए 5जी जागरूकता जोनल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 18 से अधिक संस्थानों की भागीदारी थी।
- 88+ संस्थानों ने टीसीआईएल को करार प्रस्तुत किया है। 4 विक्रेताओं द्वारा उपकरण भेजे जा रहे हैं और मार्च के अंत-अप्रैल के प्रथम सप्ताह (पहला सेट) दिए जाने की योजना है।

5. दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए मानकों को विकसित करने के अपने इस अग्रणी कार्य को जारी रखते हुए माह के दौरान टीईसी द्वारा की गई पहल को ***अनुबंध-क*** (में दर्शाया गया है।)

6. पीएलआई स्कीम

दूरसंचार विभाग ने 24 फरवरी 2021 को 12,195 करोड़ रुपये (और एमएसएमई को अधिकतम 2500 करोड़ रुपये आवंटित) के वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को अधिसूचित किया। यह स्कीम अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो गई। दिनांक 29.02.2024 तक की स्थिति के अनुसार संचयी निवेश, बिक्री और रोजगार का सारांश इस प्रकार है:

- **संचयी निवेश:** 3,097 करोड़ रु.
- **कुल बिक्री:** 45,988 करोड़ रु.
- **कुल निर्यात:** 10,413 करोड़ रु.
- **कुल रोजगार:** 19,550 (संख्या में)
- **वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022- 23 के संबंध में)के दौरान किया गया प्रोत्साहन संवितरण:** 287.38 करोड़ रु.

7. **पीएम वाणी स्कीम की स्थिति:**

- मार्च माह में पीएम वाणी के तहत जोड़ी गई वाई-फाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या- 31
- दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पीएम वाणी हॉटस्पॉट- 182071

8. **फाइबरीकरण के एनबीएम लक्ष्यों की प्रगति:**

बिछाई गई ओएफसी	दिनांक 30.09.2023 तक 38,86,882 कि.मी.	दिनांक 31.12.2023 तक 40,61,210 कि.मी.
फाइबरीकृत बीटीएस का प्रतिशत	दिनांक 30.09.2023 तक 42.2%	दिनांक 31.12.2023 तक 44.07%
मोबाइल टावरों की संख्या	दिनांक 28.02.2024 तक 7,93,478	दिनांक 31.03.2024 तक 7,96,773

9. **'कॉल बिफोर यू डिग':**

क. संपत्ति के मालिक - 127 नए उपयोगकर्ता बनाए गए जिसमें कुल योग ~ 51,610 हैं।
ख. उत्खनन - 1258 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जो संचयी रूप से 19,830 हो गए हैं।
ग. कुल 12,986 पूछताछों में से 1049 नई पूछताछ थीं।
घ. डीएलटी उपयोगकर्ता पंजीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया (सीबीयूडी वेबसाइट) और लाइव किया गया।
ङ. नए डीएलटीसी उपयोगकर्ता निर्माण मॉड्यूल का परिचय करवाने के लिए सभी 23 एलएसए के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी जो सीबीयूडी के उपयोग को बढ़ाने में मदद करेगी

10. **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उपलब्धियां:**

एआई और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और उपलब्धियों की सूची **अनुबंध-ख** में दी गई है।

11. **नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) द्वारा उद्घाटन/कार्यशालाएं/वेबिनार:**

एनटीआईपीआरआईटी द्वारा उद्घाटन/कार्यशालाएं/वेबिनार ***अनुबंध-ग*** में हैं।

12. **राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:**

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां ***अनुबंध-घ*** में दी गई हैं।

13. टीएसओसी प्रणाली की सुविधा का उपयोग करके भारतीय साइबर स्पेस में छेड़छाड़ की गई कंप्यूटर प्रणाली का पता लगाना

दूरसंचार विभाग ने टीएसओसी प्रणाली का उपयोग करते हुए भारतीय साइबर स्पेस में मार्च माह के दौरान छेड़ छाड़ की गई 1,64,051 कम्प्यूटर प्रणालियों का पता लगाया है और तदनुसार संबंधित संगठन को सूचित किया है। मार्च के महीने के दौरान 65,500 छेड़छाड़ की गई कम्प्यूटर प्रणालियों को ठीक किया गया है।

14. मार्च, 2024 के दौरान किए गए सोशल मीडिया कार्यकलापों को *अनुबंध-ङ.* में सूचीबद्ध किया गया है।

15. अनुपालन बोझ में कमी :(आरसीबी)

I. सेवा प्रदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार सुधारों को जारी रखते हुए विभाग ने सभी हितधारकों के लिए दिनांक 11.03.2024 को कार्यालय ज्ञापन **(अनुबंध - च)** जारी किया है।

II. **एम2एम सिम के लिए मौजूदा निर्देशों में संशोधन:** विभाग ने दिनांक 21.03.2024 के पत्र **(अनुबंध - छ)** के अनुसार एम2एम सिम के लिए प्रतिबंधात्मक सुविधाओं में छूट दी हैं।

III. **एमआरओ (न्यूनतम रोलआउट दायित्व:मॉड्यूल का शुभारंभ (**आरसीबी पहल के रूप में एमआरओ मॉड्यूल सरल संचार पोर्टल के (न्यूनतम रोलआउट दायित्व) भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। समग्र एमआरओ प्रक्रिया और अनुपालन के विभिन्न चरणों के साथ-साथ इसकी प्रगति की निगरानी संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

16. यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा का अस्थायी निलंबन

मोबाइल प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों द्वारा यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने दिनांक 28.03.2024 के अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 15.04.2024 से यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

17. स्पेक्ट्रम नेटवर्क (एनएफएस)संबंधी परियोजना

आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27 मार्च 2024 को आयोजित बैठक में रक्षा सेवाओं द्वारा 'स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क परिचालन' (एनएफएस) परियोजना के संबंध में दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव और अतिरिक्त परियोजना लागत के अनुमोदन पर विचार किया गया है और इसके लिए अनुमोदन प्रदान किया है। सीसीईए ने निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिया है:

"एनएफएस परियोजना को पूरा करने के लिए 5,442.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय लागत की मंजूरी और इसके परिणामस्वरूप संशोधित परियोजना के लिए लागत को बढ़ाकर 34,953.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें वर्ष 2018 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित 24,664 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 तक वहन की गई 4,846.84 करोड़ रुपये की वास्तविक एफनेट बैंडविड्थ लागत और 5,442.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता शामिल हैं।"

ख. <u>डीओटी के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) का कार्य निष्पादन</u>

.1 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

क. माह में ब्रिकी किए गए कुल सिम: 10,17,671

ख. सकल भारत फाइबर (एफटीटीएच) उपलब्धि: मार्च, 2024 माह में 2,16,899

ग. मार्च, 2024 तक भारतनेट उद्यमी के माध्यम से विशेष परियोजना के अन्तर्गत भारतनेट इंफ्रा पर कुल 6,61,898 ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

घ. सकल नए लिज्ड सर्किट: 3,172 और अपग्रेड किए गए सर्किट: 1,534; मार्च, 2024 में उन्नयन सहित कुल 4,706 का प्रावधान किया गया है।

ङ. प्लेटिनम ईबी विक्रय: 886 करोड़ रुपए; गोल्ड ईबी विक्रय: 631 करोड़ रुपए

च. अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवा ईराक के साथ-साथ मैसर्स अथीर टेलकम्यूनिकेशंस ईराक लिमिटेड, जेन (आउटबाउंड-कैमल) के लिए लॉन्च की गई है।

छ. सकल भारत एयर फाइबर उपलब्धि (डाटा): मार्च, 2024 में 719

ज. सकल लैंडलाइन उपलब्धि: मार्च, 2024 में 3,662 कनेक्शन

झ. सकल एडीएसएल ब्रॉडबैंड उपलब्धि: मार्च, 2024 में 364 कनेक्शन

ञ. 20 जीबीपीएस कैशिंग लिंक्स और 120 जीबीपीएस पियरिंग लिंक्स जोड़े गए हैं (चालू वित्त वर्ष 2023-24 में संचयी रूप से 2320 जीबीपीएस लिंक) जिससे संचयी कैशिंग लिंक क्षमता 5350 जीबीपीएस और पियरिंग लिंक क्षमता 3954.05 जीबीपीएस हो गई है।

ट. एमएनपी अनुपात (पीओ/पीआई): 5.56 {पोर्ट इन=80,791, पोर्ट आउट=4,48,987}

ठ. दिनांक 01.03.2024 को लैंडलाइन/एफटीएच और बीएसएनएल मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप लॉन्च किया गया।

ड. वायर लाइन ब्रॉडबैंड से डाटा ट्रैफिक 118.2 पीबी (अप्रैल-2019), 155 पीबी (अप्रैल-2020) और 278.6 पीबी (अप्रैल-2021) और 392.5 पीबी (अप्रैल-2022) और 556 पीबी (अप्रैल-2023) से बढ़कर मार्च, 2024 माह में 671 पीबी हो गया है।

ढ. पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की संख्या 27,82,427 (अप्रैल-2019), 36,53,078 (अप्रैल-2020), 38,71,899 (अप्रैल-2021), 37,45,974 (अप्रैल-2022) और 38,62,674 (अप्रैल-2023) से बढ़कर मार्च, 2024 माह में 38,67,496 हो गई है क्योंकि अब ट्रांजेक्शन व्हाट्स ऐप और ऐप पर अंतरित कर दिए गए हैं।

2. टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल)

- तुलनात्मक अवधि में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1671.18 करोड़ रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फरवरी, 2024 तक **2142.20 करोड़ रूपए** का अनंतिम प्रचलनात्मक कारोबार हुआ।
- टीसीआईएल को मार्च, 2024 माह में विदेशी और अंतर्देशीय ग्राहकों से कुल **847.56 करोड़ रूपए** के ऑर्डर मिले हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मार्च, 2024 तक कुल 4926.60 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्राप्त हुए है।

.3 इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री (आईटीआई)

मार्च, 2024 माह में कंपनी का कार्यनिष्पादन 439.01 करोड़ रूपए का रहा। (अनंतिम)इस कारोबार में मुख्य रूप से मिनी पीसी, लैपटॉप, एन्क्रिप्शन डिवाइस, ओडीसी, ओएलटी, स्मार्ट कार्ड, एचडीपीई, ओएफसी, सोलर पैनल, एलईडी स्ट्रीट लाइट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पानी के पाइप, बैकिंग उत्पादों, टेलीफोनों की आपूर्ति,डी प्रिटिंग3 , बीएसएनएल4-जी का कार्य निष्पादन, एनएफएस, एयरटेल एनएलडी रॉल आउट, महानेट, गुजनेट, एस्कॉन पीएच IV, टैनफीनेट प्रोजेक्ट्स, सीडॉट के लिए एएमसी एएनआरएएक्स - एसजेड उपकरण-और जीएसएम, डाटा सेंटर से व्यवसाय, परीक्षण प्रयोगशालाओं से सेवाएं, रिलायबिलिटी लैब, वाईफाई हॉटस्पॉट, वीएसएससी व्यवसाय, साइबर सुरक्षा, आईटीआई ईसेवा-, कौशल विकास और कॉरपोरेट एमएसपी द्वारा सृजित व्यवसाय आदि शामिल हैं।

ग. <u>भारतनेट</u> :

क .**ग्राम पंचायत :** देश की भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50, (000 को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार भारतनेट परियोजना की संचयी स्थिति निम्नानुसार है :

बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल	:6,83,175 किमी
ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ी गई जीपी	: 2,06,709 (जीपी)
सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कुल जीपी (ओएफसी+सेटेलाइट)	: 2,11,661(जीपी)

दिनांक 01.07.2022 से बीएसएनएल को भारतनेट के ओ एंड एम और उपयोग (राज्य आधारित मॉडल अपनाने वाले राज्यों को छोड़कर) का कार्य सौंपा गया है। बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के लिए उच्च गति वाले डाटा कनेक्शन की मांग करने के लिए प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों के साथ बातचीत की गई है। मंत्रालयों/ विभागों के साथ मांग पंजीकरण पोर्टल https://ruralfiber.bsnl.co.in विकसित एवं साझा किया गया है। ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर तक लाइव नेटवर्क की स्थिति को देखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://bharatnetlive.bbnlindia.in/UNMS/index.jsp विकसित किया गया है। बीएसएनएल ने दिनांक 30.05.2022 को भारतनेट नेटवर्क पर सरकारी संस्थाओं में ग्राम पंचायत स्तर पर एफटीटीएच उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों को करार/प्रस्ताव का मसौदा परिचालित किया है। बीएसएनएल को

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतनेट उद्यमियों के जरिए राजस्व भागीदारी आधार पर भारतनेट का उपयोग करके 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पायलट परियोजना आवंटित की गई है।

भारतनेट चरण-II (सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा जा रहा है) की लगभग 5500 ग्राम पंचायतों (जीपी) में वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने का कार्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के वित्त पोषण से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट चरण-II (ओएफसी/रेडियो पर कार्यान्वित किया जा रहा है) के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियां सृजित नेटवर्क के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा भारतनेट का उपयोग करके बीएसएनएल और अन्य आईएसपी द्वारा 9,08,194 एफटीटीएच कनेक्शन लगाए गए हैं। जनवरी, 2023 माह के लिए भारतनेट पर समग्र डाटा उपयोग लगभग 1,03,960 (टीबी) है।

ख. गांवों तक भारतनेट कनेक्टिविटी का विस्तार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को हुई बैठक में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान कर दिया है ताकि भारतनेट नेटवर्क के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए पेशेवर एजेंसियों का उपयोग करके सेवाओं के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सके।

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- बीएसएनएल को समग्र परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) बनाया गया है।
- ब्लॉक से ग्राम पंचायतों (लगभग 2.64 लाख) तक नेटवर्क का रखरखाव बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई पेशेवर एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। संविदा की अवधि 10 वर्ष (निर्माण के लिए 3 वर्ष की अवधि सहित) होगी।
- शेष 3.8 लाख गांवों में निर्माण मांग के आधार पर किया जाना है।
- भारतनेट उद्यमी मॉडल के माध्यम से पांच (5) वर्ष की अवधि में ग्रामीण परिवारों/संस्थाओं/उद्यमों में 1.5 करोड़ होम फाइबर कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आरएफपी को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार आरएफपी को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पांच माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाना है एवं कार्य सौंपे जाने के एक माह के भीतर मास्टर सर्विस करार (एमएसए) पर हस्ताक्षर किया जाना है और एमएसए पर हस्ताक्षर करने के 36 माह के भीतर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है।

घ. दूरसंचार क्षेत्र केपीआई:

फरवरी, 2024 के अंत में देश में टेलीफोनों की संख्या और टेली-घनत्व का विवरण इस प्रकार है-

वायरलाइन कनेक्शनों की कुल संख्या	31.78 मिलियन
वायरलेस कनेक्शनों की कुल संख्या	1164.93 मिलियन
कनेक्शनों की कुल संख्या	1196.71 मिलियन
टेलीघनत्व-	85.56 %

****

अनुबंध-क

टीईसी द्वारा की गई पहल

क. टीईसी ने भारतीय प्रयोगशाला परीक्षण के प्रावधानों को शामिल करने के लिए टेलीकॉम साइटों की लाइटनिंग और सर्ज प्रोटेक्शन पर सामान्य आवश्यकताओं के लिए मानक को संशोधित किया। अद्यतन मानक टीईसी 66130:2024, 4 मार्च 2024 को जारी किया गया जिसका उद्देश्य भारत की परीक्षण क्षमताओं को मजबूत करना और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को प्रोत्साहित करना है।

ख. टीईसी ने उद्योगों और टीएसपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार दूरसंचार अनुप्रयोगों के लिए लिथियम आयन बैटरी पर जेनेरिक आवश्यकताओं के मानक को संशोधित किया। मार्च ,2024 में जारी अद्यतन मानक टीईसी 67030:2024 नवीनतम तकनीक और उन्नत बीएमएस) बैटरी प्रबंधन प्रणाली (और एंटी-थेप्ट उपायों जैसी उन्नत सुविधाओं को शामिल करते हुए 2 से 72 घंटे की बैकअप अवधि प्रदान करने वाली उन्नत लिथियम-आयन बैटरियों के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

ग. टीईसी ने 14 मार्च 2024 को दूरसंचार अनुप्रयोगों के लिए बैटरी सेट में तकनीकी प्रगति पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया। उद्योग जगत, सरकार और बीएसएनएल सहित विभिन्न क्षेत्रों के 50 प्रतिभागियों के साथ कार्यशाला में बैटरी उद्योगों के विशेषज्ञों के नेतृत्व में पावर बैकअप सोल्युशन,लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी, सर्वोत्तम पद्धतियों का विनिर्माण, एनर्जी स्टोरेज फ्यूचर और सर्कुलर अर्थव्यवस्था संबंधी पहल में प्रगति जैसे विषयों को शामिल किया गया था।

घ. टीईसी ने 21 मार्च 2024 को 'ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन केबल सिस्टम :अवलोकन और तकनीकी प्रगति' पर एक अध्ययन पत्र जारी किया जिसमें वैश्विक ब्रॉडबैंड नेटवर्क में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ती इंटरनेट ट्रैफ़िक मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर तकनीकी प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया गया। अध्ययन पत्र प्रारंभिक प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करता है, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालता है और दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए भविष्य के रोडमैप का सुझाव देता है।

ङ. आगामी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मलेन (डब्ल्यूटीएसए24-) के लिए आउटरीच गतिविधि के एक भाग के रूप में टीईसी ने आईआईआईटी दिल्ली के वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम 'आरआईआईएसई' (रिसर्च इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन शोकेस इवेंट्स)-2024 के दौरान 15 मार्च 2024 को" रिसर्च टू स्टैंडर्ड्स "विषय पर एक पैनल चर्चा के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में वैश्विक मानकीकरण संगठनों में भारत के योगदान और डब्ल्यूटीएसए 2024-से संबंधित विभिन्न गतिविधियों सहित भारत में मानकीकरण इकोसिस्टम तंत्र के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

च. टीईसी ने" स्माल साइज़ के gNodeB" के लिए जेनेरिक आवश्यकताओं के लिए नए मानक जारी किए :स्माल साइज़ का gNodeB 5जी आरएएन के लिए कॉम्पैक्ट, किफायती, शक्ति कुशल और पर्यावरण-अनुकूल सोल्यूशन है और इसमें माइक्रो, पिको और अन्य लोअर सेल साइज़ के परिदृश्य में प्रचालन का अवसर है।

छ. टीईसी ने 5जी कोर के लिए प्रोविजनल टेस्ट गाइड जारी किया। यह दस्तावेज़ जीआर/आईआर/आवेदक के विनिर्देशों के अनुसार 5जी कोर की अनुरूपता/कार्यक्षमता/आवश्यकताओं/कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए आवश्यक विस्तृत परीक्षण कार्यक्रम और प्रक्रिया की गणना करता है।

अनुबंध-ख

एआई और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उपलब्धियां

क. नागरिक केंद्रित संचार साथी पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in को अब तक 4.31 करोड़ नागरिकों ने देखा है। 27.61 लाख ऐसे मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं जिन्हें नागरिकों ने नहीं लिया था और उनके बारे में संचार साथी पोर्टल पर रिपोर्ट किया था। अब तक 14,86,757 मोबाइल हैंडसेटों के बारे में रिपोर्ट किया गया और उन्हें ब्लॉक किया गया है जिनमें से 8,04,898 मोबाइल हैंडसेटों का पता लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ,राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस द्वारा 1,12,566 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए हैं।

ख. नकली/जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए मोबाइल कनेक्शनों का पता लगाने के लिए 134 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों पर एआई आधारित चेहरे की पहचान का विश्लेषण किया गया है। मार्च ,2024 तक 92.32 लाख ऐसे मोबाइल कनेक्शन का पता लगाया गया है जिनमें से 61.47 लाख संदेहास्पद कनेक्शनों को पुन: सत्यापन में विफल होने पर काट दिया गया है। देश भर में जाली दस्तावेजों के आधार पर सिम बेचने वाले 70,890 प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) को ब्लैक लिस्ट किया गया है और 365 एफआईआर दर्ज किए गए हैं।

ग. अब तक सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी)द्वारा 1.58 लाख मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक किया गया है जो नकली/जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त डिस्कनेक्टेड मोबाइल कनेक्शनों के साथ इस्तेमाल किए जा रहे थे।

घ. व्हाट्सएप जैसे 3.22 लाख सोशल मीडिया प्रोफाइल बंद कर दिए गए हैं और

ङ. अब तक 9.98 लाख बैंक/वॉलेट अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है जो नकली/जाली दस्तावेजों से प्राप्त डिस्कनेक्ट किए जा चुके मोबाइल कनेक्शन से जुड़े थे।

च. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप परिवर्तनकारी एआई सोल्यूशन तैयार करने में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी-डॉट द्वारा 28.03.2024 को एआई चैलेंज शुरू किया गया था। प्रस्तावों की मांग जिनेवा में 31-30 मई 2024 को आईटीयू के "एआई4गुड "2024वैश्विक शिखर सम्मेलन में कौशल प्रदर्शित करने के लिए की गई थी।

अनुबंध-ग

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) द्वारा उद्घाटन/कार्यशालाएं/वेबिनार का आयोजन

1. ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड प्रसार केंद्र (सीबीबीपीआईआर) का उद्घाटन

डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दिनांक 15.03.2024 को ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड प्रसार केंद्र (सीबीबीपीआईआर) का उद्घाटन किया गया। सीबीबीपीआईआर द्वारा ग्रामीण ब्रॉडबैंड पर एक शोध पत्र भी जारी किया गया। इस आयोजन में उद्योग हितधारकों, शिक्षा जगत, पीएसयू और दूरसंचार विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई जिससे संवाद और कार्रवाई के लिए एक सहयोगी माहौल तैयार हुआ। इस पहल का उद्देश्य हितधारकों को ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने, वर्तमान स्थिति का आकलन करने और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड प्रसार में तेजी लाने के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करने हेतु मंच प्रदान करना है, जिससे अंततः सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल विभाजन कम होगा ।

एनटीआईपीआरआईटी ने " ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं के तीव्र प्रसार के लिए इकोसिस्टम निर्माण " पर एक कार्यशाला भी आयोजित की। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए तकनीकी विकल्प, वहनीयता, वित्तीय व्यवहार्यता, सेवा की गुणवत्ता, सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

2. "ग्रे मार्केट -संचालन और संबंधित मुद्दे "पर ऑनलाइन कार्यशाला

एनटीआईपीआरआईटी ने दिनांक 05.03.2024 को" ग्रे मार्केट- संचालन और संबंधित मुद्दे " विषय पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला के दौरान ग्रे मार्केट से निपटने के लिए भारत दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधान, ग्रे मार्केट विश्लेषण पर एसओपी, ग्रे मार्केट विश्लेषण पर केस स्टडीज, डीआईयू के तहत ग्रे मार्केट विश्लेषण मॉड्यूल/पोर्टल पर संक्षिप्त जानकारी और मुद्दे एवं चुनौतियों पर पैनल चर्चा की गई तथा भविष्य के पेनलिस्टों जैसे विषयों को शामिल किया गया।

3. दूरसंचार मानकों, प्रमाणन और परीक्षण विधियों पर ऑनलाइन कार्यशाला

एनटीआईपीआरआईटी ने दिनांक 21.03.2024 को दूरसंचार मानकों, प्रमाणन और परीक्षण विधियों पर एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के दौरान विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली (डब्ल्यूटीएसए) में एनडब्ल्यूजी पर चर्चा, दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) प्रक्रिया

के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन पर संक्षिप्त जानकारी, वन-एम2एम मानकीकरण और दूरसंचार इकोसिस्टम में मानकीकरण विषय शामिल किए गए थे।

4. ओपन आरएएन पर वेबिनार

एनटीआईपीआरआईटी ने दिनांक 06.03.2024 को" ओपन आरएएन "पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार के दौरान ओआरएएन फ्रंट हॉल और 7.2 स्प्लिट का अवलोकन, ओआरएएन मानक, आर्किटेक्चर और 6जी अनुसंधान और ओआरएएन यूज केसेज जैसे विषयों को कवर किया गया।

5. जीईएम एसेंशियल्स :द बायर्स टूलकिट्स पर वेबिनार

एनटीआईपीआरआईटी ने दिनांक 20.03.2024 को" जीईएम एसेंशियल्स :द बायर्स टूलकिट्स "पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया और जीईएम पोर्टल की नवीनतम विशेषताओं से परिचित कराना था।

अनुबंध-घ

राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) की उपलब्धियाँ

i. उत्कृष्ट स्तरीय केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान एनआईसीएफ ने 255 प्रशिक्षुओं/अधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण करते हुए मार्च महीने में 1825 कार्य दिवस का प्रशिक्षण पूरा किया।

ii. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग का लाभ लेते हुए स्थानीय क्षेत्र कार्यालय, एनआईसीएफ ने मानकीकरण अंतराल को पाटने पर कार्यशाला का आयोजन करके दूरसंचार/आईसीटी मानकीकरण के क्षेत्र में दूरसंचार विभाग (डीओटी) और उसके पीएसयू, ट्राई, टीएसडीएसआई, दूरसंचार उद्योग आदि के प्रतिभागियों के ज्ञान को बढाया जिसमें दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो, आईटीयू जिनेवा के वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था।

iii. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूएस), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के साथ संयुक्त रूप से 'डब्ल्यूटीओ मुद्दे और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार क्षेत्र' पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सरकार, पीएसयू और निजी क्षेत्र के हितधारकों ने सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

iv. विभिन्न सिविल सेवाओं में एक अग्रणी पहल में एनआईसीएफ ने भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा और भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद के साथ साझेदारी में 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। विशेषज्ञ प्राध्यापकों ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जांच जैसे सामयिक मुद्दों को कवर किया। इसमें एयरटेल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, मानेसर में सीखने का एक गहन अनुभव शामिल था।

अनुबंध-ङ

मार्च, 2024 के दौरान की गई सोशल मीडिया गतिविधियां

ट्विटर:

- ट्वीट्स की कुल संख्या: 78(ओरिजिनल),38(रीपोस्ट)
- कुल उत्तर: 1954
- अर्नड- री-ट्वीट और लाइक: 2668(रीपोस्ट)और 2387(लाइक)
- अर्नड इंप्रेशन: 192.3 हजार
- पीपल विजिट: 4129
- नए फ़ॉलोअर्स: 487
- कुल फ़ॉलोअर्स: 196.3 हजार

फेसबुक:

- पोस्ट की कुल संख्या: 42
- अर्नड शेयर: 88
- लाइक: 432
- रीच: 27607
- वीडियो पर व्यूज : 9 (विडिओ), 5139(रीच)
- नए फ़ॉलोअर्स: 146
- कुल फ़ॉलोअर्स: 55,914

यूट्यूब:

- पोस्ट किए गए वीडियो की कुल संख्या: 9
- वीडियो पर व्यूज: 1510
- देखने का समय (घंटे): 43.7 घंटे
- नए सब्सक्राइबर: 150
- कुल सब्सक्राइबर: 7620

इंस्टाग्राम:

- पोस्ट की कुल संख्या: 38
- अर्नड इंप्रेशन: 3573
- लाइक्स: 193
- फ़ॉलोअर्स: 723

अनुबंध-च

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रभाग)
संचार भवन, 20-अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.20-405/2013-एएस-I खंड-V(भाग-1) **दिनांक: 11.03.2024**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: बेतार ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करने की आवश्यकता को हटाना

कृपया दिनांक 02.11.2016 के लाइसेंस संशोधन सं. 20-271/2010-एएस-I (खंड-II) का संदर्भ लें जिसमें सीएमटीएस/यूएएस/यूनिफाइड लाइसेंस में अभिगम सेवा प्राधिकरण के लिए बेतार ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 02.11.2016 के पत्र के अनुक्रम में कैप्टिव वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी), क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) और सीएमआरटीएस लाइसेंस, यूनिफाइड लाइसेंस (यूएल) और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (एनएलडी) के प्राधिकरण के साथ यूनिफाइड लाइसेंस (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर), इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (आईएलडी), पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस), सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन (जीएमपीसीएस), इंटरनेट सेवा और मशीन टू मशीन (एम2एम) सेवाओं के लिए अब बेतार ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करने की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया गया है।

2. तथापि ऐसी संस्थाएँ जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्थापित या संचालित करना चाहती हैं और उन्हें भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है उनके लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार डब्ल्यूओएल की आवश्यकता बनी रहेगी।

3. ऐसे लाइसेंसधारक जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त करते है उन्हें अभी भी दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी स्कंध से ट्रांसमिटिंग स्टेशन की स्थापना, रखरखाव या संचालन के लिए उचित फ्रीक्वन्सी (फ्रीक्वन्सियों) और मान्यदंडों के उपयोग की अनुमति के लिए फ्रीक्वन्सी असाइनमेंट की आवश्यकता होगी।

sd/-
(अशोक कुमार)
निदेशक (एएस-I)
दूरभाष 2303 6864

सेवा में,

सभी हितधारक

प्रति प्रेषित:

1. सचिव (ट्राई)।
2. महानिदेशक (टी) मुख्यालय, दूरसंचार विभाग मुख्यालय।
3. सीएमडी (बीएसएनएल)/ सीएमडी (एमटीएनएल)।
4. वरिष्ठ डीडीजी (टीईसी)/बेतार सलाहकार/डीडीजी (एलएफपी)/डीडीजी(एलएफए)/डीडीजी (एसए)/ डीडीजी (एसए-II)/सीवीओ, दूरसंचार विभाग।
5. डीडीजी(सीएस)/ डीडीजी(डीएस)/ डीडीजी (एसएटी)/डीडीजी (एनटी)/डीडीजी (ए/सी) दूरसंचार विभाग मुख्यालय।
6. निदेशक (आईटी) से अनुरोध है कि कृपया इस पत्र को डीओटी की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
7. एएस प्रभाग के सभी निदेशक।

अनुबंध-छ

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा स्कंध)
12वीं मंजिल, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

फाइल सं.: 800-09/2010-V एएस-III दिनांक: 21.03.2024

सेवा में,

सभी यूएएस/यूएल (अभिगम सेवा प्राधिकरण धारक) लाइसेंसधारक

विषय: एम2एम कनेक्शन के लिए मौजूदा केवाईसी निर्देशों में संशोधन-एम2एम कनेक्शन के लिए प्रतिबंधात्मक सुविधाओं में छूट

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 16.05.2018 और दिनांक 30.05.2019 के समसंख्यक पत्रों के संदर्भ लें जिसके तहत केवल एम2एम संचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सिम हेतु प्रतिबंधात्मक सुविधाओं और संबंधित केवाईसी निर्देशों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे। दूरसंचार उद्योग ने अपने विभिन्न अभ्यावेदनों के माध्यम से केवल एम2एम संचार सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सिम हेतु प्रतिबंधात्मक सुविधाओं में छूट देने का अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में दूरसंचार उद्योग के अभ्यावेदन की जांच की गई है और अधोहस्ताक्षरी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित के संबंध में अवगत कराने का निदेश दिया गया है:

i. दूरसंचार विभाग के दिनांक 16.05.2018 के निर्देशों के पैरा 4 में उल्लिखित एम2एम सिम के लिए प्रतिबंधात्मक सुविधाओं (जिसमें पूर्व में दिनांक 30.05.2019 के पत्र द्वारा छूट दिया गया था) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क. आउटगोइंग/इनकमिंग कॉल को केवल अधिकतम चार (4) नंबरों के पूर्वनिर्धारित सेट से जाने/आने की अनुमति दी जाएगी।

ख. इसी प्रकार आउटगोइंग/इनकमिंग एसएमएस को केवल अधिकतम चार (4) नंबरों के पूर्वनिर्धारित सेट से जाने/आने की अनुमति दी जाएगी।

ग. लाइसेंसधारक द्वारा निर्धारित एपीएन या समकक्ष प्रौद्योगिकी विकल्पों के साथ अधिकतम एक सौ (100) पूर्वनिर्धारित सार्वजनिक आईपी एड्रेश /यूआरएल पर डेटा संचार की अनुमति दी जाएगी।

घ. ये प्रतिबंध पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस आदि जैसे आपातकालीन नंबरों पर की गई कॉल पर लागू नहीं हैं।

नोट: एम2एम सिम कार्ड प्राप्त करते समय लाइसेंसधारक को ऐसे नंबरों/आईपी एड्रेश की एक सूची प्रदान की जानी है। बाद के चरण में यदि आवश्यकता पड़ी तो लाइसेंसधारक को इन नंबरों/आईपी एड्रेश को बदलने/पुन: कॉन्फ़िगर करने का अनुरोध किया जा सकता है। ये प्रतिबंधात्मक सुविधाएँ लाइसेंसधारक द्वारा अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर की जाएंगी और यह निजी नेटवर्क/वीपीएन के डेटा संचार पर लागू नहीं होंगी।

3. एम2एम सिम के संबंध में पहले के निर्देशों को केवल उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया गया है और पहले के निर्देशों के अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगे।

Sd/-
(निशा)
एडीजी (एएस-II)

<u>प्रति प्रेषित:</u>

1. महानिदेशक (टी), दूरसंचार विभाग मुख्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. डीडीजी (एनटी)/डीडीजी (एसए)/डीडीजी (एआई एवं डीआईयू), दूरसंचार विभाग मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (सीआईएस), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- सूचनार्थ।